मैगी का प्रचार करने वाले और विज्ञापन करने वालों पर भी कार्रवाई की मांग

कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) ने मैगी नूडल्स के विज्ञापनकर्ताओं और इसे मंजूरी देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की.

सीएआईटी ने केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान और स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा से कहा, "भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने जहां मैगी के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है, वहीं इसके प्रचारकों और इसे मंजूरी देने वाले सभी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई क्यों न हो."

यहां जारी एक बयान में सीएआईटी ने कहा कि यह चिंताजनक है कि तेज खपत उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र के देश भर के लाखों व्यापारी मैगी से संबंधित विवाद के कारण नुकसान उठा रहे हैं, क्योंकि इससे उपभोक्ताओं और कारोबारियों का विश्वास टूटा है.

बयान के मुताबिक, सीएआईटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतिया और महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने मंत्रियों से कहा, "मैगी के प्रचारकों ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा 24 का उल्लंघन किया है. इसलिए निर्माताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के साथ उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जानी चाहिए."

उन्होंने पासवान और नड्डा से भी इस ओर ध्यान देने और संबंधित अधिकारियों को उपयुक्त आदेश देने का आग्रह किया.

मैगी के प्रचारकों में शामिल हैं बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा.

पिछले दिनों मैगी के नमूनों में सीसा और एमएसजी की सुरक्षित सीमा से अधिक मौजूदगी के कारण कई राज्यों में इस पर पाबंदी लगा दी गई है.